

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937

No. 167]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

सं. 31/2015-2020

**विषय:-** दालों की निर्यात नीति में संशोधन।

**का.आ.191(अ).—** समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 54 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है।

2. समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 54 के साथ पठित दिनांक 31.3.2014 की अधिसूचना सं. 78 (आरई-2013)/2009-14 के द्वारा यथा अधिसूचित दालों के निर्यात पर अगले आदेशों तक लगाया गया प्रतिबंध, 1(एक) किग्रा. के उपभोक्ता पैक में भुने हुए चनों (साबुत/टूटे हुए) के निर्यात पर लागू नहीं होगा।

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

उपभोक्ता पैक में 1 (एक) किग्रा. के भुने हुए चनों (साबुत/टूटे हुए) के निर्यात को अनुमत किया गया है।

[फा. सं. 01/91/162/52/एम 16/निर्यात सैल]

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2016

**No. 31/2015-2020****Subject: Amendment in Export Policy of Pulses.**

**S.O. 191(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends, with immediate effect, Sl. No. 54 in Chapter 7 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items, as amended from time to time.

2. The prohibition on export of pulses till further orders as notified vide Notification No. 78(RE-2013)/2009-14 dated 31.03.2014 read with Sl. No. 54 in Chapter 7 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items, as amended from time to time, will not apply to export of Roasted Gram (whole/split) in consumer packs of 1 (one) Kg.

3. **Effect of this notification:**

Export of Roasted Gram(whole/split) in consumer packs of 1 (one) Kg has been permitted.

[F.No.01/91/162/52/AM16/Export Cell)]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade